बदलते जमाने का अखबार
पीपुल्स समाचार www.peoplessamachar.in

अहमदाबाद की सिम लेकर इंदौर में की ठगी, पुलिस को गुमराह करने तोड़ दी सिम

जागा मन में लालच और बन गए ठगोरे

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर
मो.नं. 9926064287

शहर की प्राइवेट बैंक कर्मी अधिक पैसा कमाने की लालच में ठगोरे बन गए। वारदात करने के बाद पुलिस के हाथ उन तक नहीं पहुंच सके, इसलिए गुमराह करने अहमदाबाद की सिम खरीदी और इसी सिम से लोगों को कॉल कर उनसे करोड़ों रुपए ऐंठ लिए। इन ठगों के निशाने पर इंदौर, पंजाब, गुजरात, तेलंगाना के एक दर्जन व्यापारी आ गए। ठगी के साथ बैंक कर्मचारियों ने खुद का पासवर्ड बदला और एक दर्जन खातों की ऑन लाइन शॉपिंग कर डाली। इस राशि से 15 महंगे मोबाइल और गोल्ड खरीद लिया।

विजयनगर थाने के सहायक पुलिस आयुक्त आदित्य पटले ने बताया कि ऑन लाइन ठगी रोकने लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में आईसीआईसीआई बैंक द्वारा विजयनगर थाने में दर्जनभर करंट अकाउंट खातों से बिना ओटीपी, पासवर्ड बताए ऑन लाइन बैंकिंग के माध्यम से करोड़ों की धोखाधड़ी की शिकायत की गई थी। इस पर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने टीम का गठन किया। टीम ने जांच के बाद बैंक कर्मी कमल कुमावत, अभिषेक मालवीय, स्टेनली जैकब, लवदीप सिंह को गिरफ्तार किया। उनके पास से 20 लाख के मोबाइल जब्त किए, वहीं सभी खाताधारकों के 52 लाख रुपए वापस कराए।

मुख्य आरोपी था मैनेजर : मुख्य आरोपी कमल बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर था। वह विभिन्न शहरों से कस्टमर के कॉल आने पर उनकी समस्याओं का निवारण करता था। इस दौरान बैंक के आईव्यू सॉफ्टवेयर में कस्टमर्स के खातों के ट्रांजेक्शंस के ओटीपी जाते दिखे, तब उसे लालच आ गया और कुछ दिन बाद एक खाते में अच्छा बैलेंस देखकर आईव्यू सॉफ्टवेयर में से कस्टमर का यूजर आईडी अपने मोबाइल में लोड कर लिया। फिर इंटरनेट बैंकिंग साइट पर यूजर आईडी डालकर फोरगेट पासवर्ड किया।

कस्टमर को भेज दिया था ओटीपी: तब बैंकिंग सर्वर से पासवर्ड रिसेट के लिए कस्टमर को ओटीपी भेजा, जो आरोपी कमल को बैंक के आईव्यू सॉफ्टवेयर में दिखा। इस ओटीपी का उपयोग कर कमल ने करंट खाते को लॉगइन किया और अपने पर्सनल लोन खाते में एक लाख रुपए ट्रांसफर कर सक्सेसफुली लोन क्लोज कर लिया। तब आरोपी के हौसले बढ़ गए। उसने अपने सहकर्मी अभिषेक एवं मनासा बैंक के रिलेशनशिप मैनेजर अपने जीजा स्टेनली को शामिल किया।

फर्जी सिमकार्ड हासिल की: इसके बाद तेलंगाना के कागज नगर, अदिलाबाद निवासी आरोपी अभिषेक से कागज नगर से तेलंगाना सर्कल के अन्य युवकों के नाम फर्जी सिम खरीदी। सिम के मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर ईमेल आईडी बनाई। अमेजन साइट पर अकाउंट बनाए तथा तनिक्स एप डाउनलोड किए। आरोपी कमल पूर्वानुसार कस्टमर्स के खाते में बैलेंस देखकर खातों के पासवर्ड चेंज कर देता था। अभिषेक और स्टेनली को चेंज किए पासवर्ड बताकर सभी के अमेजन खातों से लाखों के गिफ्ट वाउचर पर्चेज कर कस्टमर का खाता खाली कर देते थे।

प्राइवेट बैंक में नौकरी करते हुए करोड़ों रुपए ऐंठे

पुलिस गिरफ्त में आरोपी, जिन्होंने अधिक पैसा कमाने के लालच में ठगी की।

ऐसे दिया था घटना को अंजाम

आईसीआईसीआई बैंक विनवे वर्ल्ड ऑफिस ने उनके बैंक के कई करंट खातों से बिना ओटीपी एवं पासवर्ड शेयर किए धनराशि निकासी की शिकायत की थी। खाताधारकों ने बताया कि उनके करंट खातों से लाखों के ट्रांजेक्शन अमेजन, फ्लिपकार्ट, एप्पल, वन प्लस पर किए गए, जबकि खाताधारकों द्वारा किसी भी व्यक्ति को ओटीपी या पासवर्ड नही बताए गए। स्टेटमेंट के ट्रांजेक्शन की जानकारी मिलने पर खातों से विभिन्न ऑन लाइन साइटों पर लाखों के ट्रांजेक्शन, गिफ्ट कार्ड्स खरीदे थे। गिफ्ट कार्ड्स बेचने वाली राशि से आरोपी कमल कुमावत, अभिषेक, स्टेनली ने 15 मोबाइल, स्मॉर्ट वॉच खरीदी थी। कुछ पैसों से तनिष्क एप से सोना भी खरीदा था।

फ्लाइट से तेलंगाना भेजा

आरोपियों ने दर्जनों खाते से धनराशि निकालकर आईफोन 16 प्रोमेक्स, सैमसंग अल्ट्रा एस-24, सैमसंग जेड फ्लिप 6, एप्पल वॉच, सैमसंग अल्ट्रा वॉच और भी कई इलेक्ट्रॉनिक आयटम लिए। ठगी की राशि से खरीदे गोल्ड को बेचकर पैसे अपने पर्सनल खाते में जमा करा दिए। जब खाताधारकों ने शिकायतें की तो आरोपी कमल ने पुलिस को गुमराह करने तेलंगाना से लाई सिम को वहीं नष्ट करने अपने पड़ोसी लवदीप को सैमसंग एस-24 अल्ट्रा देने का वादा कर फ्लाइट से तेलंगाना भेजा।

फ्लाइट से वापस इंदौर लौटा

लवदीप ने तेलंगाना जाकर सिम को मोबाइल में लगाई, जिससे सभी सिम की लोकेशन पुलिस को तेलंगाना मिले... फिर सभी सिम नष्ट कर फ्लाइट से इंदौर आ गया। प्रारंभ में पुलिस को लग रहा था कि सिम तेलंगाना में बंद हुई हैं। संभवत: फ्रॉड करने वाला मुख्य सरगना तेलंगाना में होगा। पुलिस ने अलग-अलग टीमें बनाकर तेलंगाना, मनासा, मंदसौर भेजी। इन स्थानों से सभी आरोपी कमल, अभिषेक, स्टेनली, लवदीप सिंह, कृष्ण ठाकुर एवं प्वॉइंट ऑफ सेल वाले सिम विक्रेता को गिरफ्तार किया।

एसडीए कम्पाउंड के पास ट्रक में आग

केमिकल के टैंकर खाली होते समय हादसा, पूरे क्षेत्र में मचा हड़कम्प

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर
मो.नं. 9926064287

लसूड़िया थाना क्षेत्र के देवास नाका के समीप एसडीए कम्पाउंड में ट्रक में शाम 4 बजे के लगभग आग लग गई। केमिकल के टैंकर खाली होते समय यह हादसा हुआ। टैंकर में केमिकल भरा होने से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। धुआं और उसकी लपटें आधा किलोमीटर दूर तक दिख रही थीं। कम्पाउंड में यह टैंकर उत्तरप्रदेश से भोपाल मेट्रस स्थित कारखाने पर पहुंचा था। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर लसूड़िया थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला पहुंच गया था। कम्पाउंड के पास ट्रैफिक का दबाव अधिक होने से पुलिस ने एक तरफ का ट्रैफिक बंद कर दिया था, जिससे जाम भी लगता रहा। आग बुझाने में 80 हजार लीटर पानी लगा।

दमकलकर्मियों ने बताया कि जिस फैक्ट्री में आग लगी थी, उससे आसपास के परफ्यूम, बैटरी के साथ ही 5 और कारखाने भी चपेट में आ गए। निगम, पुलिस और फायर ब्रिगेड की सक्रियता से कारखानों की आग पर जल्द काबू पा लिया गया। जब आग लगी थी, तब कारखानों में श्रमिक काम कर रहे थे। घटना के बाद सभी वहां से सुरक्षित निकल गए। अचानक लगी आग से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया था।

खुले में कारोबार नहीं, करेंगे कार्रवाई

मामले में पुलिस ने बताया कि जिस कारखाने में आग लगी है, वह खुले स्थान पर नहीं था। चारों तरफ से कवर होने के कारण आग ने विकराल रूप ले लिया। ज्वलनशील पदार्थ की डिलीवरी, सप्लाय के लिए खुला स्थान होना चाहिए, लेकिन यहां कारखाना संचालक ने नियमों की अवहेलना की। जांच के बाद कारखाना संचालक और टैंकर चालक पर केस दर्ज किया जाएगा।

सूने मकान से नकदी और जेवर चोरी

इंदौर। पुलिस की रात्रि गश्त को धत्ता बताकर बदमाशों ने सूने मकान से नकदी और जेवर उड़ा दिए। राजेंद्रनगर थाने में फरियादी हुजैफा पिता हकीमुद्दीन होटलवाला निवासी राज रॉयल अपार्टमेंट ने बताया कि उसका शिवालय कॉलोनी बिजलपुर में मकान है। मंगलवार को वह ताला लगाकर जरूरी काम से कहीं गए थे। जब वापस लौटे तो घर के ताले टूटे हुए मिले। बदमाश वहां से इस्तेमाली गहने और एक लाख रुपए नकद ले गए।

10 साल की बच्ची को किया बेड टच... मां ने देख लिया

घर में खेल रही थी मासूम, दर्ज किया गया केस

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर
मो.नं. 9926064287

घर में खेल रही 10 साल की मासूम बच्ची के साथ युवक ने गलत हरकत करने की कोशिश की। घटना के समय बदमाश युवक ने उसे गोद में बैठाकर बेड टच किया था। बच्ची की मां जब अचानक पहुंची तो आरोपी उठकर चले गया। इस मामले में हीरानगर पुलिस ने आरोपी बाबूलाल पर केस दर्ज किया है।

पीड़िता की मां ने बताया कि वह अपने घर की छत पर कपड़े सुखाने गई थी। बच्ची कमरे में खेल रही थी, तब आरोपी ने उसे गोद में बैठाया और उसे गंदी हरकत की। जब बच्ची की मां आई तो आरोपी वहां से जाने लगा। उससे आने का कारण पूछा तो उसने बताया कि आपके पति से मिलने आया था। उसके जाते ही बच्ची जोर से रोने लगी, वह कांप रही थी।

पथराव और मारपीट: इधर एरोड्रम पुलिस ने इलाके में रहने वाली महिला की शिकायत पर अनमोल निवासी श्रीराम नगर, प्रवीण और अतुल वर्मा पर केस दर्ज किया है। महिला ने बताया कि तीन साल पहले अनमोल उनकी बेटी के साथ निजी स्कूल में पढ़ाई करता था, लेकिन जब उसने उसे परेशान किया और उसके मोबाइल पर बार-बार कॉल की तो महिला ने इसकी शिकायत स्कूल प्रबंधन से की थी, जिसके बाद उसे स्कूल से निकाल दिया गया। यह बात अनमोल को बुरी लगी और वह इस बात को लेकर रंजिश रखने लगा। कुछ दिन पहले उसने फिर से लड़की का पीछा करना शुरू कर दिया। करीब एक सप्ताह पहले भी अनमोल कार से अपने दोस्तों के साथ उनके घर पहुंचा था। उसने घर के बाहर पथराव किया और अपशब्द कहे थे।

छेड़छाड़ से रोका तो पिता और भाई को पीटा

एमआईजी इलाके में रहने वाली युवती से छेड़छाड़ से रोकने पर आरोपी ने युवती के पिता और भाई को पीट दिया। पुलिस ने बताया कि युवती को रोशन नाम का युवक परेशान करता था। मंगलवार शाम को युवती ने अपने पिता को यह बात बताई। इसके बाद वह बेकरी गली में बेटे के साथ घर लौटे, जहां उन्हें रोशन के चाचा राजकुमार मिले। राजकुमार ने युवती के पिता को कहा कि उनकी बेटी को संभालकर रखें।

बीएसएनएल के रिटायर्ड अधिकारी को झांसे में लेकर 1 करोड़ की ठगी

पुलिस के समझाने के बाद भी हो रहे शिकार

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर
मो.नं. 9926064287

शेयर मार्केट में निवेश का झांसा देकर बीएसएनएल के रिटायर्ड अधिकारी से एक करोड़ 4 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने क्राइम ब्रांच में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए खातों को सीज कर 25 लाख रुपए रिकवर कराए। अधिकारी को शेयर मार्केट में 15 दिनों में 100 प्रतिशत मुनाफे का लालच दिया था। पीड़ित ने बताया कि उसे अनजान नंबर से वॉट्सएप मैसेज आया था। मैसेज में ईशानी मेहता नामक महिला ने खुद को एनडब्ल्यूआईएल ब्रोकरेज कंपनी के अर्जुन हिंदुजा की असिस्टेंट बताया। महिला ने शेयर मार्केट में निवेश करने पर प्रीमियम ब्रोकरेज सर्विस और 100 प्रतिशत मुनाफे का लालच दिया।

मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करवाया: फिर पीड़ित को लिंक भेजकर मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कराया गया, जिसमें ट्रेडिंग और डिमेट अकाउंट खोला। पीड़ित ने डिस्काउंट पर आईपीओ के शेयर खरीदे। उन्हें महिला ने बताया कि उनका निवेश 9 करोड़ 22 लाख 87 हजार 330 रुपए हो गया है। जब पीड़ित ने पैसे निकालने की बात कही तो उन्हें एक करोड़ 13 लाख 48 हजार 9 रुपए टैक्स के रूप में जमा करने को कहा।

पीड़ित ने क्राइम ब्रांच से किया संपर्क

शंका होने पर पीड़ित ने क्राइम ब्रांच से संपर्क किया। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए ठगों के खातों को सील कर दिया। फिलहाल बाकी राशि की रिकवरी और ठगों की पहचान के लिए जांच जारी है, वहीं पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि ऑनलाइन शेयर मार्केट या निवेश के नाम पर आने वाले अनजान कॉल और मैसेज से सतर्क रहें।

'पुष्पा' की तर्ज पर करते थे शराब सप्लाय

केमिकल के बीच छिपा रखी थीं बोतलें

पीपुल्स संवाददाता ● इंदौर
मो.नं. 9926064287

लसूड़िया पुलिस ने तस्करों के ऐसे गिरोह को पकड़ा है, जो पुष्पा मूवी की तर्ज पर गुजरात में शराब सप्लाय करते थे। वे गोडाउन में केमिकल के बीच बोतलें छिपाकर रखते थे। आरोपियों के पास से 405 बल्क ली. शराब मिली है। तस्करों का एक साथी 3 माह पहले ही जेल से जमानत पर बाहर आया था। वह शराब दुकानदारों से सांठगांठ कर सस्ते दामों पर खरीदी करता था।

सहायक पुलिस आयुक्त आदित्य पटले को सूचना मिली कि एसआर कंपाउंड स्थित गोडाउन, जिस पर अरिहंत केमिकल का बोर्ड लगा है, वहां शराब का स्टॉक आया है। सूचना पर पुलिस ने यहां से राहुल पिता गोपाल जायसवाल निवासी प्राइम सिटी सुखलिया, जयपाल सिंह पिता स्व. तुलसीराम अहिरवार निवासी भमोरी मुक्तिधाम के पीछे, मनोज पिता जगदीशप्रसाद तिवारी निवासी लसूड़िया मोरी, हीरालाल उर्फ छोटू पिता श्यामलाल राय निवासी लसूड़िया मोरी, राजेश कुमार पिता हरिशंकर रजक निवासी लसूड़िया मोरी को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अंग्रेजी शराब बिग बुल रम की 45 पेटी कुल 405 बल्क लीटर शराब (कीमत 3,82,500 रुपए) सहित चूने की बोरी, मार्बल पावडर की बोरी, शराब पैकिंग में प्रयुक्त कपड़े के सफेद झोले, पन्नी, 7 नीले प्लास्टिक के 100 लीटर के ड्रम तथा शराब ढोने में प्रयुक्त एक्टिवा, स्कूटी और बाइक भी जब्त की है।

कई अपराध दर्ज हैं: पूछताछ में घटना के मास्टर माइंड राहुल ने बताया कि उसके विरुद्ध पूर्व में भी इसी प्रकार के कई अपराध अलग-अलग थानों में पंजीबद्ध हैं। शराब तस्करी का आइडिया उसे पुष्पा मूवी देखकर आया। उसने पुष्पा मूवी तीन बार देखी थी।

प्लास्टिक की बोरी में मिले पटाखे

इंदौर। बाणगंगा पुलिस ने युवक के घर से बड़ी संख्या में पटाखे जब्त किए हैं। मामले में आरोपी सोनू प्रजापत निवासी गली नंबर 4 पर केस दर्ज किया है। पुलिस को मुखबिर ने सूचना दी थी कि राठौर आटा चक्की के पास सोनू के घर में पटाखे रखे हैं। टीम ने सोनू के घर और दुकान की तलाशी ली तो वहां प्लास्टिक की 19 बोरियों में रस्सी बम और पटाखे मिले।

लेन-देन के विवाद में चाकू मारा

इंदौर। चौपाटी पर लेन-देन के विवाद में बदमाश ने अपने साथियों से मिलकर युवक को चाकू मार दिया। विजयनगर पुलिस के अनुसार घटना दरबार ढाबा विजयनगर क्षेत्र की है। घायलों के नाम बलराम पिता गोपाल और सनी पिता रमेश है। फरियादी बलराम की चौपाटी पर चाय-नाश्ते की दुकान है। मंगलवार को वह अपने दोस्त सनी के साथ दुकान पर बैठा था, तभी आरोपी सोनू आया। कुछ देर बाद सोनू और बलराम के बीच पैसों को लेकर विवाद हो गया। आरोपी सोनू ने बलराम को गालियां दीं। बलराम ने विरोध किया तो सोनू ने अपने दोस्त अजय और एक अन्य को बुला लिया। इसके बाद बलराम पर चाकू से हमला कर दिया। बीचबचाव करने आए सनी को भी एक चाकू लग गया। पुलिस ने घटना कारित करने वाले सोनू को हिरासत में लिया है।

मारपीट के आरोपी से बाइक बरामद

इंदौर। मारपीट के आरोपी से कनाड़िया पुलिस ने चोरी की दो बाइक बरामद की हैं। पिछले दिनों फरियादी राजेश पिता गुलाबचंद कौशल निवासी कैलाशपुरी मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने गया था, तभी उसकी बाइक चोरी हो गई थी। पुलिस ने इलाके की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चेतन नामक युवक को पकड़ा है। आरोपी से एक अन्य बाइक भी बरामद की है।

सांकेतिक कब्ज़े की सूचना

ICICI Bank
शाखा कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड कार्यालय संख्या 201-बी, द्वितीय तल, रोड नं. 1 प्लॉट नं.-बी3, वाईफाई आईटी पार्क, वागले औद्योगिक एस्टेट, ठाणे (पश्चिम)- 400604

आईसीआईसीआई बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिभूतिकरण, वित्तीय आस्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 एवं प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 सहित पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित कर्ज़दार(रों) को माँग सूचना निर्गमित की गई थी, उक्त सूचना में कहा गया था कि वे सूचना प्राप्ति की तारीख से 60 दिनों के भीतर सूचना में उल्लिखित राशि का भुगतान करें।

कर्ज़दार राशि चुकाने में विफल रहे हैं, अतएव कर्ज़दार और जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम 8 सहित पठित धारा 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे उल्लिखित तिथियों पर नीचे वर्णित संपत्ति का अधोहस्ताक्षरदाता द्वारा सांकेतिक कब्ज़ा ले लिया गया है। विशेष रूप से कर्ज़दार एवं जनसाधारण को संपत्ति के संव्यवहार नहीं करने हेतु सचेत किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी संव्यवहार आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

क्र. सं.	कर्ज़दार/ सह-कर्ज़दार का नाम/ ऋण खाता क्र.	संपत्ति का विवरण/ सांकेतिक कब्ज़े की तिथि	डिमांड नोटिस की तिथि/ डिमांड नोटिस में राशि (रु.)	शाखा का नाम
1.	संतोष कुमार नागवाडेकर एवं राजेश ओझा- RBKCR00001861621	प्लॉट नंबर 246, क्र.सं. 400/6, चंबल सागर कॉलोनी, वार्ड नंबर 4, मोहल्ला चंबल मार्ग, नागदा खाचरोद रोड, एनआर टॉवर खाचरोद, नागदा, मध्य प्रदेश -456335/ जनवरी 04, 2025	सितम्बर 28,2020 रु. 3,83,122.00/-	खाचरोद

उपरोक्त कर्ज़दार(रों)/जमानतदार(रों) को राशि वापस करने के लिए 30 दिन का नोटिस जारी किया जाता है, अन्यथा बंधक रखी गई संपत्ति(याँ) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 और 9 के प्रावधानों के अनुसार इस नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के बाद नीलाम कर दी जाएगी।

दिनांक : जनवरी 09, 2025
स्थान : नागदा

भवदीय, अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता
आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के लिए

AU SMALL FINANCE BANK
A SCHEDULED COMMERCIAL BANK

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक)
(CIN:L36911RJ1996PLC011381)
रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A, धुलेशवर गार्डन, अजमेर रोड, जयपुर-302001

सिक्युरिटाईजेशन अधिनियम 2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत मांग सूचना पत्र

अधोहस्ताक्षरकर्ता एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी है। "वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की" धारा 13(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी ने ऋण खातों के गैर निष्पादनीय आस्तियों (एन.पी.ए.) होने पर नीचे दी गई तालिका के अनुसार ऋणीयों/सह-ऋणीयों/ गारण्टर बंधककर्ताओं (जिन्हें आगे ऋणी/ऋणीयों के नाम से सम्बोधित किया जायेगा) को 60 दिनों के नोटिस प्रेषित किये थे, नोटिस के अनुसार यदि ऋणी 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवाते हैं तो प्राधिकृत अधिकारी प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13 उपधारा 4 व 14 के अन्तर्गत कदम उठाने हेतु स्वतंत्र होगा। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उसे प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा लेने की शक्ति तथा उनका विक्रय करना सम्मिलित है। अतः आप ऋणीयों को यह सूचित किया जाता है कि निम्न सूची में दी गई सम्पूर्ण बकाया ऋण राशि भविष्य के व्याज तथा खर्चा एवं लागतों इत्यादि के साथ 60 दिवस के भीतर जमा करवा दें। इसके अतिरिक्त आप ऋणीयों को यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त 13(13) में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति के पश्चात प्रतिभूत लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना सूचना में निर्दिष्ट अपनी किन्ही प्रतिभूत आस्तियों को विक्रय द्वारा या पट्टे द्वारा अथवा किसी माध्यम से अन्तरित नहीं करेंगे। ऋणीयों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(8) सपठित नियम 3 (5) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अनुसार ऋणी अपनी बंधक सम्पत्ति को उसके द्वारा उपगत सभी खर्चा प्रभारों और व्ययों के सहित प्रतिभूत लेनदार द्वारा विक्रय या अन्तरण के लिये नीलामी सूचना के प्रकाशन से पूर्व किसी भी समय भुगतान करके मुक्त करवा सकते है।

ऋण खाता संख्या/ ऋणी/सहऋणी/ बंधकर्ता/गारन्टर का नाम	धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक सम्पत्ति का विवरण
(ऋण खाता सं.): 9001220323585772 & 2221232337763583 मैसर्स दीप मोर्टस जरिये पार्टनर्स श्री गोपाल पाटीदार एवं श्री संदीप पाटीदार (ऋणी), श्री गोपाल पाटीदार पुत्र श्री शंकर लाल पाटीदार (गारंटर/ बंधककर्ता) श्री संदीप पाटीदार पुत्र श्री गणेश लाल पाटीदार (गारंटर/ बंधककर्ता) श्री मनदीप पाटीदार पुत्र श्री गणेशलाल पाटीदार (गारंटर)	23-12-2024 ₹ 30,36,358.00 + 19,65,025 = 50,01,383/- पचास लाख एक हजार तीन सौ तिरासी रूपये मात्र) 23-दिसम्बर-24 तक	दृष्टिबंधक की अनुसूची: ऋण की सम्पूर्ण वर्तमान और भविष्य की मोजुदा परिसंपत्तियों का दृष्टिबंधन, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ कच्चे माल का स्टॉक, प्रगति पर कार्य, तैयार माल, प्राप्य, बही ऋण और परियोजना से उत्पन्न होने वाली अन्य चालू परिसंपत्तियां शामिल हैं। अचल बंधक सम्पत्ति की अनुसूची: 1. संपत्ति के सभी अभिन्न अंग स्थित पीएच नं. 33, सर्वे नं. 72/1/1 का भाग, ग्राम सालाखेडी, तहसील एव जिला रतलाम, मप्र कुल क्षेत्रफल 0.050 हैक्टेयर, 5382 वर्ग फीट पंजीकृत विक्रय पत्र नं. MP319522017A1275741 दिनांक 26.05.2017 जो कि श्री गोपाल पाटीदार एवं श्री संदीप पाटीदार के स्वामित्व में है। सीमाएं: पूर्वः उक्त सर्वे की शेष भूमि, पश्चिमः रोड, उत्तरः इमरान की भूमि, दक्षिणः मुरली खण्डेलवाल की भूमि

दिनांक : 08.01.2025
स्थानः रतलाम / धार,मप्र

प्राधिकृत अधिकारी
एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड

kotak
कोटक महिन्द्रा बैंक लि.
ई- नीलामी सह बिक्री के लिए सार्वजनिक सूचना

पंजीकृत कार्यालय: 27 बीकेसी, सी27, जी ब्लाक, बांद्रा कुर्ला काम्पलेक्स, बांद्रा(ई), मुम्बई-400 051(महा.)
कार्पोरेट कार्यालय: कोटक इनफिनिटी, जोन-II, चौथी मंजिल, बिल्डिंग नं. 21, इनफिनिटी पार्क, डब्ल्यू.ई. हाइवे, गोरेगांव, मुम्बई-400 097 (महा.)
शाखा/क्षेत्रीय कार्यालय: कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, पांचवी मंजिल, मेट्रो टॉवर, विजय नगर, इंदौर म.प्र.-452001

एतद् द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से ऋणी/सह-उधारकर्ता/गारंटर को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी को गिरवी रखी गई है, जिसका भौतिक कब्जा **कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी** द्वारा दिनांक 23.01.2024 को लिया गया है। जिसे **''जैसा है जहां है''**, **''जैसा है जो है'' और ''जो कुछ भी है''** के आधार पर बेचा जाएगा, अचल संपत्ति की बिक्री के लिए अधोहस्ताक्षरी द्वारा हमारे ई-नीलामी सेवा भागीदार, मे. सी1 इंडिया प्रायवेट लिमिटेड यानि www.c1india.com के वेब पोर्टल के माध्यम से आनलाईन जमा करने के लिए प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते है, जिसका विवरण नीचे दिया गया है :-

ऋणकर्ता(ओ) /ग्यारंट(रो)/ मार्टगेजर (रो) का नाम	मांग पत्र दिनांक एवं राशि	अचल संपत्ति का विस्तृत विवरण	आरक्षित मूल्य	बयाना राशि जमा (ईएमडी)	अचल संपत्तियों के निरीक्षण की तिथि
नकद ऋण सुविधा ऋण खाता सं. सीआरएन सं. 78089869 ऋण खाता सं. 9811452381 और सावधि ऋण सुविधा ऋण खाता सं. सीआरएन 78089869 ऋण खाता सं. 5915TL0100000067 1. मेसर्स एमएमबी जूट उद्योग अपने एकमात्र मालिक श्री प्रेम रतन बोथरा के माध्यम से 23, 24 मुराई मोहल्ला, छावनी ग्रेन हाउस फ्लैट सं. 204-205, दूसरी मंजिल शीतल गजक के सामने इंदौर -452001 (उधारकर्ता) इसके अलावा: पता: फ्लैट सं. 101, एनआरके विला 22/2 मनोरमागंज, इंदौर एमपी 452001 2. श्री नवरतन कुमार बोथरा पिता श्री मगन लाल बोथरा पता: 165 विद्या नगर, सुखधाम अपार्टमेंट फ्लैट सं 102, सपना संगीता रोड के पीछे, इंदौर एमपी 452001 3. श्रीमती प्रीति बोथरा पति श्री प्रेम रतन बोथरा का पता: फ्लैट नंबर 101, एनआरके विला 22/2 मनोरमागंज, इंदौर एमपी 452001 (सह-उधारकर्ता/ गारंटर)	डिमांड नोटिस दिनांक 10-08-2021, रु.3,36,23,824.45/- (तीन करोड़ छत्तीस लाख तेईस हजार आठ सौ चौबीस और पैंतालीस पैसे मात्र) 9-8-21 पर	1. संपत्ति का वह टुकड़ा जो औद्योगिक भूमि है, जिसका माप 1789.96 वर्ग मीटर (प्लॉट क्षेत्र) है, पटवारी हल्का नंबर 62 (पुराना नंबर 26) पर है और भूमि राजस्व डायवर्टेड सर्वे नंबर 211/1 पाइक, ग्राम पालदा, वार्ड नंबर 75, इंदौर (म.प्र.) के पास है, सुधार के साथ। पूर्व: सड़क, पश्चिम: सड़क और भूमि क्रमांक आरएस क्रमांक 211/1 पाईकी, उत्तर: सड़क और भूमि क्रमांक आरएस क्रमांक 211/3 पाईकी दक्षिण: सड़क और भूमि क्रमांक आरएस क्रमांक 311/1 और 311/2 2. संपत्ति का वह टुकड़ा और पार्सल जो औद्योगिक भूमि है, जिसका माप 189.68 वर्ग मीटर (प्लॉट क्षेत्र) पटवारी हल्का क्रमांक 62 (पुराना क्रमांक 26) पर है और भूमि राजस्व डायवर्टेड सर्वे क्रमांक 311/1 एवं 311/2 पाईकी ग्राम पालदा वार्ड क्रमांक 75, इंदौर (म.प्र.) के पास है, सुधार के साथ पूर्व: अन्य कारखाने, पश्चिम: आरएस क्रमांक 311/1 और 311/2 की शेष भूमि, उत्तर: आरएस क्रमांक 211/3 पाईकी की भूमि, दक्षिण: टाइल्स का कारखाना	रु. 4,95,53,775/- (रुपये चार करोड़ पिंचानवे लाख तिरेपन हजार सात सौ पचहत्तर मात्र)	रु. 49,55,377/- (रुपये उनचास लाख लाख पचपन हजार तीन सौ सतहत्तर मात्र)	17/01/2025 11:00 बजे — 12:00 बजे नीलामी की तिथि/समय 30/01/2025 11:00 बजे — 12:00 बजे

बोली वृद्धि राशि 5,00,000/- प्रस्ताव / ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि: - 29/01/2025 शाम 5.00 बजे तक

बिक्री के महत्वपूर्ण नियम और शर्तें:
(1) नीलामी बोली दस्तावेज के आगे के नियमों और शर्तों के अनुसार और उसमें निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आयोजित की जाएगी। बोलीदाता हमारे ई-नीलामी सेवा प्रदाता, **मेसर्स सी1 इंडिया प्रा. लिमिटेड** की वेबसाइट देख सकते हैं यानी **https://www.bankeauctions.com** ई-नीलामी के लिए रखी गई सुरक्षित संपत्तियों का विवरण और बोली प्रपत्र जो आनलाईन जमा किया जाएगा। (2) सभी इच्छुक खरीददारों/बोलीदाताओं को ऊपर उल्लिखित वेब पोर्टल **https://www.bankeauctions.com** में अपना नाम पंजीकृत कराना होगा और ई-नीलामी में भाग लेने के लिए अपना यूजर आईडी और पासवर्ड मुफ्त में जेनरेट करना होगा। पूर्वोक्त तिथि और समय पर ; (3) ई-नीलामी पर किसी भी पूछताछ, सूचना, समर्थन, प्रक्रिया और ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए, संभावित बोलीदाता हमारे ई-नीलामी सेवा भागीदार **मेसर्स सी1 इंडिया प्राइवेट लिमिटेड विभाग से श्री धारानी कृष्णा मोबाइल नंबर:** 9948182222 और **ई-मेल आईडी:** mpcg@c1india.com और **support@bankeauctions.com** से संपर्क कर सकते है। (4) प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी और जानकारी के अनुसार, संपत्तियों पर कोई भार नहीं है। हालांकि इच्छुक बोलीदाता ऊपर वर्णित या पूर्व नियुक्ति के साथ किसी अन्य तिथि और समय पर संपत्ति और उसके दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकते है और उन्हें ई-नीलामी पर अपनी बोली जमा करने से पहले संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/अधिकार पर भार, संपत्ति के शीर्षक के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए। ई-नीलामी विज्ञापन केएमबीएल की कोई प्रतिबद्धता या कोई प्रतिनिधित्व नहीं है। संपत्ति को सभी मौजूदा और भविष्य के भारों के साथ बेचा जा रहा है, चाहे **केएमबीएल** को ज्ञात हो या अज्ञात। प्राधिकृत अधिकारी/प्रतिभूत लेनदार किसी तीसरे पक्ष के दावों/अधिकारों/बकायों के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होंगे। ई-नीलामी में भाग लेने के लिए इच्छुक खरीददारों/बोलीदाताओं को वेब पोर्टल (**https://www.bankeauctions.com**) पर ब्याज मुक्त वापसी योग्य बयाना जमा (ईएमडी) के भुगतान का विवरण जमा/अपलोड करना होगा। इन्दौर में देय 'कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड' के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से सुरक्षित संपत्ति, पैन कार्ड, आधार कार्ड, निवास के पते के प्रमाण, कंपनी के मामले में बोर्ड के प्रस्तावों और पते के प्रमाण की स्व-सत्यापित प्रतियों के साथ जैसा की ऊपर निर्दिष्ट किया गया है। (5) अन्य सभी बोलीदाताओं की ईएमडी जो ई-नीलामी में सफल नहीं हुए, उन्हें केएमबीएल द्वारा ई-नीलामी बंद होने के 72 कार्य घंटों के भीतर वापस कर दिया जाएगा। ईएमडी पर कोई ब्याज देय नही होगा। (6) सफल क्रेता/बोलीदाता को क्रय प्रतिफल की शेष राशि प्राधिकृत अधिकारी/सुरक्षित लेनदार द्वारा उक्त सुरक्षित परिसंपत्ति की 'बिक्री की पुष्टि' की तारीख से पंद्रहवें (15वें) दिन या उससे पहले या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अपने विवेक पर लिखित रूप में सहमत ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर देय होगी। चूक की स्थिति में, तब तक जमा की गई सभी राशियां जब्त हो जाएंगी; (7) सफल बोलीदाता पैन संख्या ADFHL7544N तथा AWFGH0875J (बिक्री आय में से) पर टीडीएस के रूप में बिक्री मूल्य का 1% का भुगतान करेगा और प्राधिकृत अधिकारी को टीडीएस प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा और बिक्री मूल्य की पूरी राशि (टीडीएस के रूप में 1% की कटौती के बाद) जमा करेगा, प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के 15 कार्य दिवसों के भीतर ईएमडी को समायोजित करेगा या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उचित समझे गए किसी अन्य विस्तारित समय के भीतर, अन्यथा अग्रिम जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।

सरफेसी अधिनियम के नियम 6(2), 8(6) और 9(1) के तहत ऋणी/बंधक/गारंटर को एतद्वारा **15 दिनों** का वैधानिक नोटिस दिया जाता है। ताकि देयता का पूर्ण निवर्हन किया जा सके और भुगतान किया जा सके। इस नोटिस की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर अद्यतन ब्याज और व्यय के साथ ऊपर उल्लिखित देय राशि का भुगतान करें और ऐसा न करने पर सुरक्षित संपत्ति को ऊपर उल्लिखित नियमों और शर्तों के अनुसार बेचा जाएगा। अंग्रेजी और वर्नाक्यूलर समाचार पत्र में बिक्री नोटिस के प्रकाशन के बीच कोई विसंगति होने की स्थिति में, तो ऐसे मामले में अंग्रेजी समाचार पत्र स्थानीय समाचार पत्र का स्थान लेगा और इसे अंतिम प्रति के रूप में माना जाएगा, इस प्रकार अस्पष्टता को दूर किया जाएगा। यदि उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता बैंक को देय राशि का भुगतान बिक्री की तारीख से पहले पूरी तरह से कर देता है, तो नीलामी रोक दी जाएगी।
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए हमारे अधिकृत अधिकारी **श्री प्रशांत सातपुते @9724433999 और श्री अशोक मोटवानी @ 9873737351** पर बैंक के उपर्युक्त क्षेत्रीय कार्यालय में संपर्क करें।
विशेष निर्देश :- ई-नीलामी हमारे सेवा प्रदाता **मेसर्स सी1 इंडिया प्रा. लिमिटेड** द्वारा संचालित की जाएगी। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड (केएमबीएल) की ओर से, पूर्व-निर्दिष्ट तिथि पर, जबकि बोलीदाताओं को आरक्षित मूल्य से ऊपर अपनी पसंद के अनुसार अपने स्वयं के घर/कार्यालयों/अपनी बोली के स्थान से उद्धृत करना होगा। इंटरनेट कनेक्टिविटी और अन्य सामग्री आवश्यकताओं को बोली लगाने वालों को स्वयं सुनिश्चित करना होगा। कृपया ध्यान दें कि इंटरनेट कनेक्टिविटी की विफलता (किसी भी कारण से जो भी हो) की पूरी जिम्मेदारी बोलीदाताओं की होगी और न तो केएमबीएल और न ही **सी1 इंडिया प्राइवेट। लिमिटेड** इन अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए जिम्मेदार होगा। ऐसी आकस्मिक स्थिति से बचने के लिए, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्था/विकल्प जो भी आवश्यक हों, करें ताकि वे ऐसी स्थिति से बचने में सक्षम हों और फिर भी ई-नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें। तथापि, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि ऐसी किसी भी जटिल स्थिति से बचने के लिए अपनी बोली को उद्धृत करने/सुधारने के लिए अंतिम क्षण तक प्रतीक्षा न करें।

स्थान: इंदौर(मप्र) दिनांक : 09.01.2025
हस्ते/-(प्राधिकृत अधिकारी), कोटक महिन्द्रा बैंक लिमिटेड